इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
फोन : 0141–2702784, 2706577–78 फैक्स : 2706575
E-Mail:igprgvs@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 4 ( ) भण्डार/आईजीपीआरएस/2013/ 11958 दिनांकः 8/3/17

<u>नीलामी सूचना</u>

संस्थान के मुख्य भवन बेसमेन्ट स्टोर में उपलब्ध वेस्ट पेपर (रद्दी) की नीलामी दिनांक 17.03.2017 को प्रातः 11.00 बजे संस्थान परिसर में की जानी है।

कृपया विस्तृत विवरण संस्थान की बेबसाईट **www.igprgvs.rajasthan.gov.in** तथा संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त निदेशक

वेस्ट पेपर (रद्दी) अनुपयोगी मुद्रित पुस्तकों की_लूगदी बनाने हेतु नकारा सामान का विवरण

क्र.सं.	सामान का विवरण	वजन	बोली प्रतिभूति राशि रूपयों में	नीलामी की दिनांक समय व स्थान
1	मुद्रित अनुपयोगी पुस्तके	लगभग एक क्विंटल	500.00	दिनांक 17.03.2017 बोली प्रतिभूति जमा 11.00 से 12.00 तक तथा बोली प्रारम्भ 12.00 बजे से बोली स्थान : संस्थान परिसर

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी किये जाने वाले उपकरणों/सामानों का निरीक्षण कार्यालय समय में संस्थान परिसर के मुख्य भवन बेसमेन्ट में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
2. नीलामी की बोली लगाने से पूर्व निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि 11.00 बजे से 12.00 बजे तक जमा करवायी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं होगा।
3. बोलीदाताओं द्वारा रद्दी की बोली आरक्षित मूल्य प्रति किलो से प्रारम्भ की जावेगी एवं अधिकतम बोलीदाता को नियमानुसार बोली का सक्षम स्तर से अनुमोदन होने पर रद्दी को निकटतम धर्म कांटे पर तुलवा कर सफल/अधिकतम बोलीदाता को रद्दी के वजन के अनुरूप पूर्ण राशि जमा करवाने पर सुपुर्द करवा दी जाएगी।
4. नीलामी समाप्ति पर अंतिम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि उसी दिवस को तथा शेष 50 प्रतिशत राशि तथा सभी नियमानुसार लागू करों (वेट सहित) की राशि आगामी 2 कार्य दिवस में डी डी के रूप में जमा कराकर कार्यालय समय में 10 दिवस में सामान को उठाना होगा। सामान समय पर नहीं उठाने पर एवं शेष राशि निर्धारित समय में जमा नहीं कराने पर बोलीदाता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. बिना कोई कारण बताये निलामी को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
6. द्वितीय अधिकतम की बोली प्रतिभूति राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा 50 प्रतिशत राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि उसी दिन बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
7. नीलामी हेतु सामान जहॉ है जैसी स्थिति में नीलाम की जायेगी।
8. सामान की सुपुदर्गी के पश्चात किसी भी नुकसान/कमी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
9. सफल अधिकतम बोलीदाता को सामान की डिलीवरी लेने से पूर्व अपनी पहचान एवं स्थाई पते के सत्यापन हेतु समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
10. किसी विवाद की स्थिति में समुचित न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर रहेगा।

अतिरिक्त निदेशक